13.9.18 पत्रावली पेश हुई। बहसान उप० । भूमि प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्ध मूल दावे का निस्तारण हो चुका है इसलिये प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल दावे का निस्तारण होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner